संख्या जी0आई0:- 2790 /7-1-2013-800(3102)/2009

प्रेषक,

श्री राजेन्द्र कुमार,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

वन एवं पर्यावरण विभाग देहरादूनः दिनांक 20 सितम्बर, 2013.

विषयः- जनपद-चम्पावत के अन्तर्गत फर्नहिल में ट्रेचिंग ग्राउण्ड के निर्माण हेतु 0.40 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु नगर पंचायत, लोहाघाट को 30 वर्षों की लीज पर दिया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्याः 606/1जी-2735 (चम्पा0) दिनांक 02-09-2013 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय जनपद-चम्पावत के अन्तर्गत फर्नहिल में ट्रेचिंग ग्राउण्ड के निर्माण हेतु 0.40 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु नगर पंचायत, लोहाघाट को 30 वर्षों की लीज पर दिये जाने की स्वीकृति भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के पत्र संख्या-8बी/यू.सी.पी./09/155/2009/एफ0सी0/55 दिनांक 27-08-2013 में प्रदत्त स्वीकृति के आधार पर उनमें उल्लिखित शर्तों का समावेश करते हुए निम्न शर्तो पर प्रदान करते हैं :-

1. प्रश्नगत वन भूमि की वर्तमान वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
2. प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा प्रश्नगत वन भूमि का उपयोग केवल कथित प्रयोजन हेतु ही किया जायेगा तथा उक्त भूमि अथवा उसके किसी भाग को किसी अन्य विभाग, संस्था अथवा व्यक्तियों को हस्तान्तरित नहीं किया जायेगा।
3. प्रयोक्ता एजेंसी के सम्बन्धित अधिकारी, कर्मचारी अथवा ठेकेदार या उक्त व्यक्तियों के अधीन या उनसे सम्बन्धित कोई भी व्यक्ति किसी भी वन सम्पदा को क्षति नहीं पहुँचायेंगे और यदि उक्त व्यक्तियों द्वारा वन सम्पदा को कोई क्षति पहुँचायी जाती है, अथवा कोई क्षति पहुँचती है तो उसके लिए सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा तदर्थ निर्धारित प्रतिकर, जो पूर्णतया अन्तिम एवं प्रयोक्ता एजेंसी पर बाध्यकारी होगा, प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा देय होगा।
4. उक्त वन भूमि प्रयोक्ता एजेंसी के उपयोग में लीज अवधि के अन्दर तब तक बनी रहेगी, जब तक कि प्रयोक्ता एजेंसी को उसकी उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता रहेगी। यदि प्रयोक्ता एजेंसी को उक्त वन भूमि अथवा उसके किसी भाग की आवश्यकता न रहेगी तो यथास्थिति उक्त वन भूमि अथवा उसका ऐसा भाग जो प्रयोक्ता एजेंसी के लिए आवश्यक न रहे, मूल विभाग को बिना किसी प्रतिकर के भुगतान किये यथास्थिति वापस प्राप्त हो जायेगी।
5. वन विभाग के कर्मचारी/अधिकारी अथवा उसके अभिकर्ताओं को किसी भी समय जब वे आवश्यक समझें, प्रश्नगत वन भूमि का निरीक्षण करने का अधिकार होगा।
6. वन भूमि पर खड़े वृक्षों, यदि कोई हों और उनका पातन किया जाना नितान्त आवश्यक हो तो वह केवल उत्तरांचल वन विकास निगम द्वारा ही निस्तारित किया जायेगा।
7. प्रयोक्ता एजेंसी के व्यय पर वन विभाग द्वारा 100 वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक उसका रख-रखाव किया जायेगा।
8. प्रयोक्ता एजेंसी के व्यय पर वन विभाग द्वारा प्रस्तावित स्थल के आस-पास रिक्त पड़े स्थान पर यथोचित वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक उसका रख-रखाव किया जायेगा।

9. प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा जनपद कार्यबल की संस्तुतियों एवं भू–वैज्ञानिक के सुझावों का कड़ाई से अनुपालन पालन किया जायेगा।
10. प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा प्रस्तावित योजना के निर्माण एवं तदुपरान्त रख–रखाव के दौरान स्थानीय वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया जायेगा।
11. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा परियोजना निर्माण में कार्यरत मजदूरों/स्टाफ को रसोई गैस/किरोसिन तेल की आपूर्ति की जायेगी, जिससे निकटवर्ती वनों पर जैविक दबाव को कम किया जा सके।
12. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्तावित स्थल/वन क्षेत्र के आस–पास मजदूरों/स्टाफ के लिए किसी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जायेगा।
13. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्तावित वन भूमि के अतिरिक्त आस–पास की वन भूमि से निर्माण में मिट्टी/पत्थर काटने एवं भरने का कार्य नहीं किया जायेगा।
14. प्रयोक्ता एजेन्सी के व्यय पर मक डिस्पोजल का कार्य प्रस्तुत की गई योजना के अनुसार वन विभाग की देख–रेख में किया जायेगा। प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उत्सर्जित मलवे का निस्तारण चिन्हित स्थलों पर ही किया जायेगा व उत्सर्जित मलवे को किसी भी दशा में पहाड़ों के ढलान से नीचे/नदी में निस्तारित नहीं किया जायेगा।
15. प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा एन0पी0वी0, 100 वृक्षों के वृक्षारोपण, एवं कार्यस्थल के आस–पास रिक्त स्थानों पर वृक्षारोपण हेतु जमा की गई धनराशि को भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के स्तर पर गठित तदर्थ क्षतिपूरक वृक्षारोपण निधि प्रबन्ध एवं नियोजन एजेन्सी **(ad-hoc CAMPA)** को स्थानान्तरित कर दिया गया है।
16. प्रयोक्ता एजेन्सी वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत सम्बन्धित जिले के जिलाधिकारी का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करेगा कि वनाधिकार अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तावित वन भूमि में कोई भी दावा लम्बित नहीं है एवं आदिम जनजाति/प्रारम्भिक कृषक समुदाय के हित प्रभावित नहीं होते हैं। उक्त प्रमाण–पत्र उपलब्ध कराये जाने के पश्चात् ही वन भूमि पर कार्य आरम्भ किया जायेगा।
17. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्ताव में निहित किसी भी निर्धारित शर्त का अनुपालन नहीं होने अथवा असंतोषजनक अनुपालन होने की स्थिति में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा स्वीकृति को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।
18. *प्रश्नगत वन भूमि का वर्तमान बाजार दर पर जिलाधिकारी से मूल्य निर्धारित कराकर, मूल्य के बराबर प्रीमियम एवं प्रीमियम का दस प्रतिशत वार्षिक लीज रेन्ट लेकर प्रयोक्ता एजेन्सी को वनभूमि का कब्जा दिया जायेगा।*
19. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उक्त शर्तों एवं अन्य सामान्य शर्तों को सम्मिलित करते हुए एक पट्टा विलेख का आलेख्य प्रस्तुत किया जायेगा जिसे शासकीय हस्तान्तरक से विधीक्षित करवाया जायेगा। ऐसे पट्टा विलेख के विधीक्षण हेतु न्याय (कन्वेयसिंग) कोष्ठक के शासनादेश सं0–198/7–जी.सी.–89–3–89, दिनांक 19–6–1989 के अनुसार निर्धारित विधीक्षण शुल्क विलेख विधीक्षण से पूर्व लेखा शीर्षक "0070"–अन्य प्रशासनिक सेवायें–01–न्याय प्रशासन–501–सेवायें और सेवा फीस–01 की गई सेवाओं के लिये भुगतानों की उगाही के अर्न्तगत ट्रेजरी में जमाकर ट्रेजरी चालान की प्रति पट्टाविलेख के आलेख्य के साथ उपलब्ध करायी जायेगी। उपरोक्तानुसार प्रस्तुत पट्टा विलेख शासन द्वारा विधीक्षित किये जाने के उपरान्त ही शासन द्वारा अधिकृत प्राधिकारी द्वारा निष्पादित किया जायेगा।
20. प्रस्तावित परियोजना के लिए प्रत्यावर्तित की जाने वाली वन भूमि का प्रयोक्ता एजेन्सी के व्यय पर आर0सी0सी0 पिलरों से (फोर बियरिंग व बैक बियरिंग लेकर) सीमांकन किया जायेगा व प्रभागीय स्तर पर वन भूमि हस्तान्तरण के अभिलेखों में भी अंकित किया जायेगा।

2. उक्त आदेश उत्तराखण्ड शासन द्वारा जारी कार्यालय ज्ञाप सं0–104/26/प्र0स0–आ0व0ग्रा0वि0 दि0–1–1–2001, कार्यालय ज्ञाप सं0–110/26/प्र0स0–आ0व0ग्रा0वि0 दि0–4–1–2001, शासनादेश संख्या–666/14–2–600/51/1999 दिनांक 19–7–1999 एवं शासनादेश संख्या–156/7–1–2005–500 (826)/2002 दिनांक 9–9–2005 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अर्न्तगत जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(राजेन्द्र कुमार)
अपर सचिव।

संख्या– 2790 /7–1–2013–800(3702)/2009 उक्त दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. अपर प्रमुख वन सरंक्षक (केन्द्रीय), भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, कैम्प कार्यालय, एफ0आर0 आई0, देहरादून।
2. प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3. प्रमुखसचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
4. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, अल्मोड़ा।
6. जिलाधिकारी, जनपद–चम्पावत।
7. प्रभागीय वनाधिकारी, चम्पावत वन प्रभाग, चम्पावत।
8. अध्यक्ष, जिला पंचायत, लोहाघाट, चम्पावत।
9. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, (NIC) उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि कृपया इस शासनादेश को एन.आई.सी. की वेंबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

1/2

आज्ञा से

(राजेन्द्र कुमार)
अपर सचिव।